प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
न्यू ओखला औद्यौगिक विकास प्राधिकरण (Noida)
जनपद–गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांकः– 438 / शि0का0लख0 / 2019–20 दिनांकः– 05/02/2020

विषयः– कम्पनी का नाम परिवर्तन / अंशधारिता परिवर्तन की स्थिति विषयक दिनांक 11.10.2010 के शासनादेश के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–डब्ल्यू–122 / 94–2–2020–500(50) / 2010 दिनांक 04:02.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कम्पनी का नाम परिवर्तन / अंशधारिता परिवर्तन की स्थिति विषयक दिनांक 11.10.2010 के शासनादेश को निरस्त कर दिया गया है। आप अवगत ही हैं, कि बड़ी संख्या में कम्पनियों की अचल सम्पत्तियों का अन्तरण सी0आई0सी0 (Charge in Constitution) द्वारा होता है। पूर्व में नोयडा प्राधिकरण की अचल सम्पत्तियों के सी0आई0सी0 डीड उपनिबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत कराये जाते थे। शासनादेश संख्या–5007 / 11–5–2010–500(50) / 2010 दिनांक 11.10.2010 के जारी होने के पश्चात उक्त प्रकार के प्रलेखों के निबन्धन में भारी कमी आयी जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को होने वाली स्टाम्प आय में भी गिरावट आई है।

अतः आप से अपेक्षा है कि उक्त शासनादेश के निरस्त होने के कारण ऐसी सम्पत्तियों का चिन्हीकरण करा लें, जो सी0आई0सी0 (Charge in Constitution) से अच्छादित हैं ताकि उनके निबन्धन से राज्य सरकार को देय स्टाम्प शुल्क की वसूली सुनिश्चित हो सके।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीया,
5/2/2020
(मिनिस्ती एस0)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः / शि0का0लख0 / 2019–20 दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
4. उप / सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, गौतमबुद्ध नगर परिक्षेत्र, गौतमबुद्ध नगर को इस निर्देश के साथ कि नोयडा प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित कर सी0आई0सी0 (Charge in Constitution) से अच्छादित सम्पत्तियों का निबन्धन सुनिश्चित करें।

(मिनिस्ती एस0)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ASSTT. / SR. ASSTT.

O.S.D. (INSTT.)

संख्या: ड्ब्ल्यू–122/94– 2–2020–500(50)/

प्रेषक,

अजय कुमार अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उ0प्र0 शिविर कार्यालय,
लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–2

लखनऊ: दिनांक: 04 फरवरी, 20

विषय– कम्पनी का नाम परिवर्तन/अंशधारिता परिवर्तन की स्थिति विषयक दिनांक 11 2010 के शासनादेश के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–233/सी0आई0सी0/शि0का0लख0/2019- दिनांक 22.01.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कम्पनी का परिवर्तन/अंशधारिता परिवर्तन की स्थिति विषयक दिनांक 11.10.2010 के शासनादेश निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपर भारी मात्रा में होने वाले करापवंचन को रोकने के लिए शासनादेश सं0–5007/11–5–201 500(50)/2010 दिनांक 11.10.2010 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किये जाने का नि लिया गया है।

तदनुसार उक्त शासनादेश सं0–5007/11–5–2010–500(50)/2010 दिनांक 11. 2010 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। कृपया उपरोक्तानुसार सभी अधीनस्थों निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार अवस्थी)
विशेष सचिव।

संख्या 2892 / 18–1–2010–25(14)/09 टी0सी0

प्रेषक,

दयाशंकर सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
उ0प्र0कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक: 10 दिसम्बर 2010

विषय :–शासन द्वारा कम्पनी का नाम परिवर्तन / अंशधारिता परिवर्तन की स्थिति में निष्पादित सी.आई.सी.के विलेख पर मंतव्य उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या –1818 / परि / शि.का.लख. / 2010 दिनांक 26 अक्टूबर, 2010 की छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक / यथोपरि

भवदीय,

(दयाशंकर सिंह)
अनुसचिव

उद्योग निदेशालय उ0प्र0
औद्योगिक आस्थान अनुभाग–1।

पत्रांक 778 /11 अ0प्र0 –स्टाम्प ड्यूटी/09– कानपुर दि0 20/12
उक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासन के उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1– समस्त महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0
2– समस्त परिक्षेत्रीय अपर /संयुक्त निदेशक उद्योग, उ0प्र0

Scanned with CamScanner

2892/18-1-10

संख्या 3210 ... 6-3-20..

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।
संख्याः (परि0)/शि0का0लख0/2010 दिनांक अक्टूबर, 2010

समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
<u>उत्तर प्रदेश।</u>

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–1682/शि0का0लख0/2010 दि 13.10.2010 जो समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन को सम्बोधित है, के कम में शासन व पत्र संख्या–5007/11–5–2010–500(50)/10 दिनांक 11.10.2010 को संलग्न करते हुए आपको अवगत कराना है कि शासन द्वारा, कम्पनी का नाम परिवर्तन/अंशधारिता परिवर्तन की स्थिति में निष्पादित सी0आई0सी0 के विलेख पर मंतव्य स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि उक्त आशय के सी0आई0सी0 के विलेख पर न तो स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है और न ही इस विलेख का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है।

अतः शासन के पत्र को प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र में व्यक्त विधिक मंतव्य के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(हिमांशु कुमार)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।

संख्याः 1818 (परि0)/शि0का0लख0/2010 दिनांक 26 अक्टूबर, 2010

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उप निबन्धक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(हिमांशु कुमार)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।

2.11.10

संख्या–500 / 11–5–2010–500(50) / 10

प्रेषक,

[illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,

उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊ: दिनांक 11 अक्टूबर ,2010

विषय– कम्पनी का नाम परिवर्तन / अंशधारिता परिवर्तन की स्थिति में उक्त उद्देश्य से निष्पादित विलेख के पंजीकरण एवं स्टाम्प देयता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 1544 / शि0का0लख0 / 2010 दिनाँक 30 सितम्बर 2010 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा कम्पनी की सम्पत्ति में उसके अंशधारकों का परिवर्तन होने से साक्ष्य के रूप अंश धारकों का नाम परिवर्तन सम्बन्धी सी0आई0सी0 डीड पर कतिपय बिन्दुओं पर विधिक परामर्श उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

शासन स्तर पर प्रकरण का परीक्षण किया गया। आप द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर विधिक स्थिति निम्नवत है:-

अंशधारकों के नाम में परिवर्तन का परिणाम कम्पनी की सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है। कंपनियों के शेयर ट्रांसफर से जनित अंशधारकों में परिवर्तन विषयक सीआईसी डीड का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा–17 के तहत रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नही है। इसके अतिरिक्त सीआईसी डीड पर स्टाम्प अधिनियम–1899 की अनुसूची–1 बी के अनुच्छेद 23 के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय नही है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार सभी अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner